

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 506/1613 / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं०एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई बारे में
------------------------	--------------------------------	--------------------------------


26/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती सुवर्ण कुमारी पिता/पति.....  
मौजा वांगी थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या- 19/II  
में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 26 / 63-64 के आधार पर दर्ज है।  
जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुसूचित जाति के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

## भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>वांगी</u>	<u>262</u>	<u>142</u>	<u>1557</u>	<u>0.40 (0.92)</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 26/08/2020 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी  
अड़की।



26/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती.....  
..... पिता/पति ..... मौजा-.....थाना-अड़की,  
जिला-खूँटी के नाम से मौजा-.....थाना नं०.....खाता सं०.....  
प्लॉट सं०..... रकबा-.....लगान..... रूपये अलावे  
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-.....  
..... थाना नं०.....के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर  
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।